संख्या-14 /2024/001-531-77-2-2099/55/1/729116/2024

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0 प्रयागराज ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 अगस्त, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्ष 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 103-04-अधिष्ठान (मुख्यालय)-25-लघु निर्माण कार्य तथा 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-8 (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के लेखाशीर्ष-4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय 103-सरकारी मुद्रणालय 04-अधिष्ठान (मुख्यालय) के अन्तर्गत 25-लघु निर्माण कार्य मद में रू0 0.75 लाख तथा 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में रू0 3.20 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 3,95,000/- (रूपये तीन लाख पन्चानबे हजार मात्र) की नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु निम्न नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में व्यवस्थित/स्वीकृत धनराशि केवल चालू योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों/अन्य प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त धनराशि का व्यय एतदविषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 जो समस्त विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

(3) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार की व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी ।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार मासिक आधार पर किया जायेगा। निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा व्यय का विवरण मासिक आधार पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 008 लेखाशीर्षक 4058001030400 अधिष्ठान (मुख्यालय) मानक मद 25 लघु निर्माण कार्य (2) रुपये 3,20,000 (रुपये तीन लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 008 लेखा शीर्षक 4058001030400 अधिष्ठान (मुख्यालय) मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव ।

संख्या-14 /2024/001-531-77-2-2099/55/1/729116/2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज ।
6- नोडल अधिकारी/उप सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।